



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 128-2022/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, JULY 18, 2022 (ASADHA 27, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 जुलाई, 2022

**संख्या 42/जीएसटी-2.**— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 36/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 36/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, —

(क) अनुसूची में,—

- (i) क्रम संख्या 9 और 22 के सामने, खाना (3) में, “उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो” से शुरू होने वाले और “दिया गया हो]” से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, “उनसे भिन्न, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (ii) क्रम संख्या 26 के सामने, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, “दही, लस्सी, छाछ उनसे भिन्न, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (iii) क्रम संख्या 27, 29, 30ख, 45, 46क के सामने, खाना (3) में, “उनसे भिन्न, जो इकाई आधान में रखे गए हैं” से शुरू होने वाले और “दिया गया हो]” से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, “उनसे भिन्न, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (iv) क्रम संख्या 46ख के सामने, खाना (3) में, “उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो” से शुरू होने वाले और “दिया गया हो]” से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, “उनसे भिन्न, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (v) क्रम संख्या 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 और 75 के सामने, खाना (3) में, “उनसे भिन्न, जो इकाई आधान में रखे गए हैं” से शुरू होने वाले और “दिया गया हो]” से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, “उनसे भिन्न जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (vi) क्रम संख्या 77 और 78 के सामने, खाना (3) में, “उनसे भिन्न, जो इकाई आधान में रखे गए हैं” से शुरू होने वाले और “दिया गया हो]” से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, “उनसे भिन्न, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(2508)

- (vii) क्रम संख्या 94 के सामने, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, “(i) बेंट गुड़ (गुड़), पलमायरा गुड़ सहित सभी प्रकार का गुड़, उनसे भिन्न, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो; (ii) खांडसारी शुगर उनसे भिन्न, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो”; प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (viii) क्रम संख्या 95 के सामने, खाना (3) में, “जो सामान्यत मुर्की के नाम से जाना जाता है” शब्दों के बाद, “उनसे भिन्न, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो” शब्द रखे जाएंगे;
- (ix) क्रम संख्या 97क के सामने, खाना (3) में, “उनसे भिन्न, जो यूनिट कंटेनर में रखे गये हैं” से शुरू होने वाले और “दिया गया हो]” से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, “उनसे भिन्न, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (x) क्रम संख्या 99 के सामने, खाना (3) में, “शुद्धिकृत” शब्द का लोप कर दिया जाएगा;
- (xi) क्रम संख्या 108 के सामने, खाना (3) में, “उनसे भिन्न, जो इकाई आधान में रखे गए ह” से शुरू होने वाले और “दिया गया हो]” से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, “उनसे भिन्न, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (xii) क्रम संख्या 118 और 122 उसके सामने प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (xiii) क्रम संख्या 132क के सामने, खाना (3) में, “उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो” से शुरू होने वाले और “दिया गया हो]” से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, “उनसे भिन्न, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (xiv) क्रम संख्या 141 उसके सामने प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ख) अनुसूची के बाद, व्याख्या में, खण्ड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-  
 “(ii) 'प्री-पैकेज्ड और लेबल' वाक्यांश से अभिप्राय है, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम 1) की धारा 2 की उपधारा (1) में यथापरिभाषित 'प्री-पैकेज्ड क्मोडिटी', जहां विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम 1) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन पैकेज में माल पहले से पैक किया गया है या उस पर अनिवार्य घोषणा के संबंध में सुरक्षित रूप से लेबल चिपका हुआ है।”।
2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

अनुराग रस्तोगी,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।

## HARYANA GOVERNMENT

### EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

#### Notification

The 18th July, 2022

**No. 42/GST-2.**— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 36/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

#### AMENDMENT

In Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 36/ST-2, dated the 30th June, 2017,

(A) in the Schedule, -

- (i) against serial numbers 9 and 22, in column (3), for the portion beginning with the words “other than those put up in” and ending with the words “conditions as in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (ii) against serial number 26, for the entry in column (3), the entry “Curd, Lassi, Butter milk, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;

- (iii) against serial numbers 27,29, 30B, 45, 46A, in column (3), for the portion beginning with the words “other than those put up in” and ending with the words “conditions as in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;
  - (iv) against serial number 46B, in column (3), for the portion beginning with the words “[other than those” and ending with the words “conditions as in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;
  - (v) against serial numbers 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,72, 73, 74 and 75, in column (3), for the portion beginning with “[other than those” and ending with the words “conditions as in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;
  - (vi) against serial numbers 77 and 78, in column (3), for the portion beginning with the words “[other than those” and ending with the words “conditions as in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;
  - (vii) against serial number 94, for the entry in column (3), the entry “(i)Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery, other than pre-packaged and labelled.; (ii) Khandsari Sugar, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;
  - (viii) against serial number 95, in column (3), after the word “Murki”, the words and symbols “, other than pre-packaged and labelled” shall be inserted;
  - (ix) against serial number 97A, in column (3), for the portion beginning with the words “[other than those put up” and ending with the words “as specified in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;
  - (x) against serial number 99, in column (3), the word “purified, ” shall be omitted;
  - (xi) against serial number 108, in column (3), for the portion beginning with the words “[other than those” and ending with the words “conditions as in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;
  - (xiii) serial numbers 118 and 122 and the entries relating thereto shall be omitted;
  - (xiv) against serial number 132A, in column (3), for the portion beginning with the words “[other than those put up” and ending with the words “as in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;
  - (xv) serial number 141 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (B) after the Schedule, in the Explanation, for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-
- “(ii) The expression ‘pre-packaged and labelled’ means a ‘pre-packaged commodity’ as defined in clauses (l) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (Central Act 1 of 2010) where, the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (Central Act 1 of 2010) and the rules made thereunder.”.
2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

ANURAG RASTOGI,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Excise and Taxation Department.